दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से 'उच्च शिक्षा'
ऐतिहासिक लेखा-जोखा

उमेश चंद्र अग्रवाल*

दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में संचार तथा सूचना प्रोद्यौगिकी के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। दूरस्थ शिक्षा का आरंम्भ पत्राचार शिक्षा से हुआ जो मुद्रित सामग्री पर निर्भर था। संशोधित होते-होते इसने मुक्त शिक्षा का रूप ग्रहण किया और वर्तमान में सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग के कारण ये ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से भी जानी जाने लगी है। विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जानी जाने वाली यह शिक्षण पद्धति वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। प्रस्तुत लेख में भारत में इसके विकास एवं उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्त्व की चर्चा की गई है।

देश में शिक्षित बेरोजगारी के आँकड़ों में भले ही 'दिन दूनी और रात चार गुनी' अभिवृद्धि हो रही है लेकिन प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं से लेकर उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों तक में प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों और अनुदेशकों की कमी आज शैक्षिक और राजनैतिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बनी हुई है। व्यापक तौर पर इस कमी के लिए यों तो कई कारण उत्तरदायी हैं लेकिन देश में समुचित मात्रा में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है कि पिछले दो दशकों में जिस रफ्तार से विभिन्न स्तरों पर सरकारी और निजी क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में बढ़ोत्तरी हुई है, उस अनुपात में शिक्षक-शिक्षा अथवा शिक्षक-प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका है। विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता विकास के लिए संचालित किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों और निर्धारित विशेष प्रावधानों जैसे 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार-2009' का पारण, 'माध्यमिक शिक्षा

**संयुक्त निदेशक*, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ, उत्तर देश.

भियान-2008 तथा सर्वशिक्षा अभियान-2000 का संचालन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-1995', त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम 2006, 'राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम-2004', का संचालन और उनके अंतर्गत स्थापित विशिष्ट विद्यालयों जैसे—'जवाहर नवोदय विद्यालय-1985', 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय-2004', 'विशेष आवासीय बालिका विद्यालय-2006', 'विशेष मॉडल स्कूल-2008' आदि के समुचित प्रकार से क्रियान्वयन के लिए भी नए शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ी है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक समुचित अवधि के लिए नए शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन करके उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएँ किया जाना बहुत जरुरी हो गया है। विभिन्न अन्तर्निहित कारणों से पारम्परिक—औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से पर्याप्त मात्रा में इनकी आपूर्ति सुनिश्चित भी नहीं हो पा रही है। इस दिशा में 'दूरस्थ शिक्षा' एक वैकल्पिक प्रशिक्षण माध्यम के रूप में एक बड़ा सहारा बन सकती है।

वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अनुकूलतम उपयोग ने विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए इसकी व्यावहारिकता तथा स्वीकार्यता को चार चाँद लगाए हैं। निश्चित रूप से दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास का प्रमुख आधार स्तम्भ **'आधुनिक संचार माध्यम'** है। वर्तमान समय में दूरस्थ शिक्षा सही मायनों में मल्टीमीडिया माध्यमों पर आधारित हो गई है। यह शिक्षा व्यवस्था, मुद्रित माध्यमों, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो, वीडियो आदि संचार माध्यमों तथा मल्टीमीडिया जैसे सभी माध्यमों का संयुक्त रूप से प्रयोग कर विद्यार्थी को मानसिक रूप से जोड़कर सीखने की प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था है। इस शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों को कठोर, औपचारिक नियमों और समय-सीमा में नहीं बाँधा जाता और साथ-ही-साथ समूह में सीखने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें शिक्षण माध्यमों या हार्डवेयर का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सामग्री या सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता उनका स्पष्ट और सुग्राह्य प्रस्तुतीकरण तथा विषयवस्तु की उपयोगिता आदि का है। सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों व प्रमाण-पत्रों को संवैधानिक व कानूनी रूप से मान्य किए जाने तथा कम लागत मूल्य आने के फलस्वरूप भी इनकी लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ रही है। वैसे भी दूरस्थ शिक्षा आज एक लम्बा सफर तय कर चुकी है। वर्तमान में संचार माध्यमों और तकनीकी उपकरणों की बढ़ती सुविधाओं को समाहित रखते हुए आज यह शैक्षिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि, एक स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गई है। वास्तव में यह एकमात्र ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जो 21वीं शताब्दी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ है। कुछ वर्ष पहले तक दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की 'सहवर्ती या पूरक शिक्षा व्यवस्था' मानी जाती रही है लेकिन 21वीं सदी के पदार्पण के साथ ही दूरस्थ शिक्षा अपनी अन्तर्निहित गुणवत्ता के कारण ही वर्तमान परिदृश्य में काफी उपयोगी और कारगर सिद्ध हो रही है। सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, जनसँख्या वृद्धि, ज्ञान का विस्फोट और सीमित शैक्षिक साधनों के

फलस्वरूप और साथ ही भौगोलिक दृष्टि से दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनसमूहों तक पहुँच की अपनी सीमाओं के कारण भारत जैसे देश में दूरस्थ शिक्षा द्वारा औपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वर्तमान संदर्भों में 'दूरस्थ शिक्षा कोई चुनाव या विकल्प का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समय की अनिवार्य माँग है' कहा जाना यथार्थपूर्ण लगता है।

दूरस्थ शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि यद्यपि दूरस्थ शिक्षा 20वीं शताब्दी की देन है, परन्तु इसके विचार के उद्‌भव स्रोत को इससे पूर्व में भी देखा जा सकता है। यह माना जाता है कि दूरस्थ शिक्षा का प्रारम्भ 'पत्राचार' द्वारा शिक्षण के रूप में वर्ष 1840 में पिटमैन के 'पैनी डाक' के माध्यम से छात्रों को शार्टहैण्ड सिखाने के द्वारा हुआ था परन्तु कुछ विद्वान इसका प्रारम्भ वर्ष 1830 से मानते हैं जब एक निजी अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों को द्वि-मार्गी पत्र-व्यवहार के द्वारा शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया था। वर्ष 1856 में बर्लिन में पत्राचार द्वारा भाषा सिखाने के लिए एक स्कूल भी खोला गया। इसके बाद अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन आदि में पत्राचार द्वारा शिक्षा का काफी विकास किया गया तथा अनेक शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा मुद्रित पत्राचार सामग्री का प्रयोग शिक्षण के लिए करना प्रारम्भ कर दिया गया। भारत में पत्राचार शिक्षा का प्रारम्भ सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1962 में किया गया। इसके बाद उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु पंजाब विश्वविद्यालय (1966), मेरठ विश्वविद्यालय (1969), मैसूर विश्वविद्यालय (1969), आदि कई विश्वविद्यालयों द्वारा तथा प्रादेशिक माध्यमिक शिक्षा परिषदों द्वारा स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों हेतु पत्राचार द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ किया गया। पत्राचार शिक्षा में मुद्रित सामग्री के साथ-साथ अध्ययन केंद्रों या रविवारीय कक्षाओं आदि के द्वारा 'कान्टेक्ट क्लासेज' के नाम से आमने-सामने बैठकर किए जाने वाले शिक्षण की भी प्रायः व्यवस्था की जाती रही है। पत्राचार शिक्षा में पाठ-लेखन का अत्यन्त महत्त्व है। इसमें पाठों को रोचक व वार्तालाप की शैली में लिखने का प्रयास किया जाता है तथा उनका सावधानीपूर्वक संपादन किया जाता है। पत्राचार के अध्ययन केंद्रों के अनुदेशकों का कार्य भी बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण तथा नियमित अध्यापक से भिन्न होता है। कान्टेक्ट क्लासेज अथवा व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम पत्राचार शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण सोपान है जिसमें छात्रों की कठिनाइयाँ तथा जिज्ञासा को दूर करने के साथ-साथ इसमें उन्हें आवश्यक परामर्श भी दिया जाता है।

पत्राचार शिक्षा के संशोधित स्वरूप के रूप में मुक्त विश्वविद्यालीय शिक्षा की व्यवस्था हेतु वर्ष 1969 में इंग्लैंड मे 'यू. के. ओपन यूनिवर्सिटी' के नाम से प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसके द्वारा अपने शैक्षिक कार्यक्रम वर्ष 1971 में प्रारम्भ किए गए। इस मुक्त विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। ऐसा नहीं कि इसका संगठनात्मक स्वरूप, शिक्षा मॉडल अथवा इसके द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों, अनुकरणीय, सर्वोतम अथवा अपनाने योग्य रहे, बल्कि इसलिए कि इससे पूर्व तक

दूरस्थ शिक्षा को शैक्षिक क्षेत्र में गौण स्थान प्राप्त था तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को संस्थागत छात्रों की तुलना में हीन समझा जाता था। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के इस मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के स्वरूप को एक मान्य शिक्षण विधि की स्वीकृति व गरिमा दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। इसके द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अच्छी शिक्षा सम्भव है, यह कम व्यय पर परम्परागत शिक्षा के समान प्रभावशाली है तथा इससे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी रोजगार व अन्य क्षेत्रों में समान रूप से स्वीकार्य हो सकते हैं। इसीसे प्रेरणा पाकर पश्चिमी जर्मनी में 1974 में 'फर्न मुक्त विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई। बाद में थाइलैंड में 'सुखोथाई थम्मीथीरल मुक्त विश्वविद्यालय' श्रीलंका में 'ओपन यूनीवर्सिटी ऑफ श्रीलंका', पाकिस्तान में 'अल्लामा इकबाल ओपन यूनीवर्सिटी', कोरिया में 'कोरिया एयर करस्पांडेंस यूनीवर्सिटी', जापान में 'यूनीवर्सिटी ऑफ एयर' इंडोनेशिया में 'यूनीवर्सिटी टेरबूका', कनाडा में 'अथाबास्का यूनीवर्सिटी', चीन की 'सैंट्रल रेडियो एण्ड टेलीविजन यूनीवर्सिटी' आदि मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इससे स्पष्ट है कि इंग्लैंड के मुक्त विश्वविद्यालय के उपरांत ही अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका आदि के अनेक देशों द्वारा दूरस्थ शिक्षा को अपनाने की दिशा में अनेकों सार्थक प्रयास किए गए भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा।

वास्तव में दूरस्थ शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित रूप ही है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा के अर्थ में भी परिवर्तन होता रहा है। उदाहरणस्वरूप प्रारम्भ में वर्ष 1850 से 1970 तक इसे 'पत्राचार शिक्षा' कहा गया। इसके बाद वर्ष 1970 से 1990 तक इसको 'मुक्त व दूरस्थ शिक्षा' कहा जाने लगा। वर्ष 1990 के पश्चात इसे 'वर्चुअल शिक्षा' कहा जाने लगा और 21वीं शताब्दी में इसे 'वेब बेस्ड एजुकेशन' या 'आन लाइन एजुकेशन' कहा जाता रहा है। दूरस्थ पद्धति द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के लिए विभिन्न देशों में भी अलग-अलग नामों का प्रयोग होता है जैसे — फ्रांस में इसे टेली-एसाइनमेंट, जर्मनी में फर्न-स्टूडियम, स्पेन आदि देशों में 'एजुकेशन ए डिस्टेंशिया', आस्ट्रेलिया में 'एक्सटर्नल स्टडीज' या 'ऑफ कैंपस स्टडीज़' न्यूजीलैण्ड में 'एक्स्ट्रा मूलर' संयुक्त राज्य अमेरिका में 'होम स्टडी या इंडिपेंडेंट स्टडी' कहा जाता है। हमारे यहाँ इसे अभी कुछ वर्षों पूर्व पत्राचार शिक्षा के नाम से जाना जाता रहा लेकिन अब इसे 'दूरस्थ शिक्षा और 'मुक्त शिक्षा' कहा जाता है। इसे भले ही कहीं भी किसी भी नाम से पुकारा जाए लेकिन वास्तविक अर्थों में दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों से भौगोलिक दृष्टि से दूर रहकर मुद्रित सामग्रियों तथा संचार माध्यमों के प्रभावशाली सम्प्रेषण द्वारा शिक्षा अर्जन की जाती है। भारत मे यों तो पत्राचार द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना से पूर्व कई विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा था परन्तु पूर्णरूपेण दूरस्थ शिक्षा पर आधारित कोई मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ कार्यरत नहीं था। अत: तकनीकी विकास तथा आधुनिक सम्प्रेषण साधनों से संचालित होने वाली दूरस्थ एवं मुक्त

शिक्षा प्रणाली की उपादेयता को स्वीकार करते हुए हमारे देश में भी मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना को महत्त्व दिया गया।

उल्लेखनीय है कि भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 70 के दशक के पूर्वार्द्ध में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही 'जी. पार्थसारथी' की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति द्वारा वर्ष 1975 में देश के एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने की संस्तुति की गई। हालांकि भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश में 'आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय' के नाम से हैदराबाद में खोला गया जिसका बाद में नाम बदलकर डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया लेकिन जब वर्ष 1982 में 'माधुरी बेन शाह' की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की अविलम्ब स्थापना करने की सिफारिश की गई, तब वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी द्वारा अपने राष्ट्रीय प्रसारण में इस आशय की घोषणा की गई। इस घोषणा के उपरांत संसद में इस हेतु एक विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया जिसे सितम्बर 1985 में संसद द्वारा विधिवत पारित कर दिया गया। तत्पश्चात 19 नवंबर 1985 को प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' के नाम से इसकी नींव रखी गई और इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 34 देशों में बसे करीब 15 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके 58 प्रादेशिक केंद्र तथा 1400 अध्ययन केंद्र देश के सभी भागों में स्थित हैं। वर्तमान में इसके द्वारा 125 डिग्री डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट स्तर के करीब 1000 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में विश्व पटल पर यह विश्व के वृहद विश्वविद्यालयों में से एक महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित है।

राष्ट्रीय स्तर पर 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' की स्थापना के उपरांत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत अभी तक 13 मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इनमें राजस्थान (कोटा) में वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय-1987; बिहार (नालन्दा) में नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय-1987; महाराष्ट्र (नासिक) यशवन्त राव चव्हान मुक्त विश्वविद्यालय 1989; मध्य प्रदेश (भोपाल) में भोज मुक्त विश्वविद्यालय-1991; गुजरात (अहमदाबाद) में डा. बाबा साहिब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय-1994; कर्नाटक (मैसूर) में कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय-1996; पश्चिमी बँगाल (कोलकाता) में नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय-1997; उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) में राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय-1999; तमिलनाडु (चेन्नई) में तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय-2003; छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) में पण्डित सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2005; आसाम (गुवाहाटी) में के. के. हैण्डिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय-2005; तथा उत्तराखण्ड (हल्द्वानी) में उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय-2006

खोले गए हैं तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों में मुक्त शिक्षा अथवा दूरस्थ शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु वहाँ दूरस्थ शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में पूरे देश में स्थापित 13 मुक्त विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 60 से भी अधिक परम्परागत विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए वहाँ डिग्री स्तर तक की शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। शिक्षक–शिक्षा के बी.एड. व एम.एड. के पत्राचार व मुक्त पाठ्यक्रमों तथा सेवारत अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन भी कुछ विश्वविद्यालयों के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जिसमें और अधिक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा को भी दूरस्थ तथा पत्राचार पद्धति से प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी मौजूद है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि देश में माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1965 में कई। वर्तमान में विभिन्न राज्यों की माध्यमिक शिक्षा परिषदों द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसका नाम अब 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान' कर दिया गया है, के द्वारा माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ प्रणाली के द्वारा बृहद स्तर पर सफलतापूर्वक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है लेकिन अभी तक भी इसमें सभी स्तरों पर आधुनिक संचार माध्यमों का समुचित और गहन रूप से प्रयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है। हालांकि वर्तमान में दूरस्थ प्रणाली के अन्तर्गत रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट तथा ई–मेल आदि तकनीकी प्रविधियों का उपयोग काफी हद तक किया जाने लगा है लेकिन इन सभी शिक्षण संस्थाओं में मुख्य बल मुद्रित पाठ्यसामग्री पर ही रहता है तथा अन्य सम्प्रेषण माध्यमों का प्रयोग बहुत कम अर्थात सीमित मात्रा में ही किया जा रहा है।

हमारे देश में विद्यमान आर्थिक व शैक्षिक परिस्थितियों के मद्देनज़र दूरस्थ या मुक्त शिक्षा की महत्ता तथा देश के शैक्षिक विकास में इसकी संभावित भूमिका व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1992 में दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालय के संबंध में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए विचार अति महत्त्वपूर्ण हैं जिनमें कहा गया है कि—

- देशवासियों हेतु उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने तथा शिक्षा को जनतांत्रिक स्वरूप देने व इसे जीवनभर की प्रक्रिया बनाने के लिए शुरु की गई मुक्त अधिगम प्रणाली अति उपयोगी है। देश के नागरिकों, व्यवसायिक शिक्षा धारा में जाने वालों सहित, की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं के लिए मुक्त अधिगम की लोचनीयता व नवाचार विशेष रूप से उपयुक्त है।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 1985 में स्थापित 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके द्वारा राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना में सहायता भी प्रदान की जाएगी।

- राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा मुक्त अधिगम सुविधाओं को क्रमशः देश के सभी भागों में माध्यमिक स्तर पर विस्तृत किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 'प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन' में भी इस संबंध में कहा गया कि मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाती है, पहुँच सुनिश्चित करती है, लागत की दृष्टि से प्रभावशाली है तथा शिक्षा की नम्य व नवाचारी प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। इसमें मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली विकसित तथा सुदृढ़ करने के लिए कहा गया कि—
- महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अध्यापक अनुस्थापन के पाठ्यक्रम चलाए जाएँगे।
- पाठ्यक्रमों को मॉड्यूलर प्रारूप पर बनाया जाएगा जिनमें क्रेडिटों के संचयीकरण की सुविधा दी जाएगी।
- शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर के निर्धारण का मानदण्ड बनाया जाएगा।
- सम्प्रेषण माध्यमों का सहारा लिया जाएगा तथा स्वतंत्र रेडियो व दूरदर्शन चैनलों के लिए सूचना व जनसंचार मंत्रालय से समन्वय किया जाएगा।
- दूरस्थ शिक्षा के समन्वय तथा स्तर निर्धारण के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय राज्यों के निर्देशन हेतु नियम बनाए जाएँगे।
- मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में पाठ्यक्रमों का नैटवर्क बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
- राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों को सावधानीपूर्ण नियोजन के उपरांत ही खोलने हेतु राज्य सरकारों को समुचित परामर्श दिया जाएगा।

उपरोक्त व्यवस्थाओं को क्रियान्वित किए जाने हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा उपाय भी किए जाते रहे हैं, भले ही उनको समग्र और समंवित रूप में पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सकता है। इसकी महत्ता व व्यावहारिकता को देखते हुए आज इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा अपनी अनेकों अंतर्निहित विशेषताओं के कारण एक वरदान सिद्ध हो सकती है। भले ही आज पूरे देश में 400 से अधिक विश्वविद्यालयों और 17 हजार से भी अधिक उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु विभिन्न स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित हैं जिनमें 5 लाख के करीब शिक्षक कार्यरत हैं और करीब 1 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लेकिन आज भी हमारे करीब 80 हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाने को विवश हैं। देश में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 60 के दशक में होने वाले नामांकन का प्रतिशत भले ही 1 से बढ़कर आज 10 के करीब पहुँच गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय औसत जो 22% है, की तुलना काफी कम है। संसार के विकसित देशों में तो उच्च शिक्षा में नामांकन का 50% से भी अधिक पाया जाता है। अपनी उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए हमें अपने 10% आँकड़ों को बढ़ाकर कम से कम 20-22% तक पहुँचाना नितान्त

आवश्यक है। देश में उच्च शिक्षा में नामाँकन का प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता के दृष्टिगत योजना आयोग द्वारा 11वीं पँचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात वर्ष 2012 तक इसको 15% तथा 12वीं योजना के अन्त अर्थात वर्ष 2017 तक 20% तक किए जाने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। इसी क्रम में 'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' द्वारा भारत को ज्ञानवान समाज के रूप में विकसित करने हेतु कम से कम 1500 विश्वविद्यालयों तथा 50,000 अच्छे कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता का आकलन किया गया है। हाल ही में प्रस्तुत यशपाल समिति की रिपोर्ट में भी उच्च शिक्षा के व्यापक संवर्धन हेतु अनेक उपाय सुझाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी बढ़ाकर 100% किए जाने से विदेशी शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी और जोर-शोर से भारत में अपने संस्थान खोले जा रहे हैं।

इन परिस्थितियों में एक ओर जहाँ नए-नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो रही है, वहीं दूसरी ओर देश में बड़ी मात्रा में हमारा युवा वर्ग भी उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहा है। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की तेजी से बढ़ती लागत, समुचित मात्रा में समुचित गुणवत्तायुक्त शिक्षण संस्थानों की अनुपलब्धता, औपचारिक संस्थानों में अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण वहाँ के गुणस्तर में ह्रास जैसे अनेक कारणों ने आज दूरस्थ शिक्षा की ओर रुख किए जाने पर मजबूर भी किया है। वैसे भी मुक्त विश्वविद्यालयों में परम्परागत विश्वविद्यालयों की तरह उपलब्ध कराए जा रहे विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम, विविध स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था, सतत् मूल्याँकन, परीक्षण व प्रमाणन की व्यापक सुविधा, शिक्षा प्रदान करने के लिए पत्राचार के साथ-साथ रेडियो, दूरदर्शन, कम्प्यूटर आदि सहित मल्टीमीडिया के संयुक्त रूप से प्रयोग, सूचना-तकनीकी के तीव्र गति से प्रसार के कारण दूरस्थ पद्धति पर ऑन लाइन सेवाओं, इलैक्ट्रॉनिक-नेटवर्क, इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब जैसी सुविधाओं की उपस्थिति, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल एसाइमेंट्स, एकेडमिक काउंसिलिंग, श्रव्य-दृश्य सामग्री, प्रोजेक्ट वर्क, वर्कशाप, टेलीकांफ्रेंसिंग जैसे निवेशों के तेजी से बढ़ते प्रयोग ने दूरस्थ माध्यम से प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में काफी हद तक बढ़ोत्तरी की है। इन संदर्भों में इस सत्यता से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि उपरोक्त विशेषताओं के होते हुए भी दूरस्थ पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को कम-से-कम हमारे देश में समान स्तर का स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए भी अनेक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ दूरस्थ पद्धति के द्वारा प्रदत्त किए जा रहे शिक्षण में अभी भी मुख्य बल मुद्रित पाठ्यसामग्री पर ही रहता है तथा आधुनिक संचार प्रणाली और मल्टी-मीडिया का प्रयोग नाममात्र के लिए किया जा रहा है जिसके लिए शीघ्रतापूर्वक आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जानी आवश्यक हैं। दूरस्थ शिक्षा परिषद् द्वारा यद्यपि 'उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ शिक्षा की नई नीति-2009' में इस दिशा में आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं जिन पर दृढ़तापूर्वक अमल किया जाना बहुत जरुरी है।

इस पद्धति में विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित विषयवस्तु का समयानुसार परिवर्तन भी सम्भव

नहीं हो पाता क्योंकि इस कार्य में बहुत अधिक धन और मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसकी सामान्यतया इन संस्थानों के पास कमी रहती है। अत: इसके लिए भी समुचित व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाना बहुत जरुरी है। इनके पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोगों द्वारा सम्पर्क कक्षाओं को पूर्ण गम्भीरता से नहीं लिया जाता और ये कक्षाएँ सामान्य औपचारिक कक्षाओं की तरह ही आयोजित की जाती हैं जिनमें मुख्यतया व्याख्यानों का ही प्रयोग होता है। फलस्वरूप दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थी इस प्रकार के कार्यक्रमों से समुचति रूप से लाभांवित नहीं हो पाते। विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्पर्क कार्यक्रमों व शैक्षिक निर्देशनों के लिए निपुण व सक्षम व्यक्ति उपलब्ध इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उन्हें समुचित पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था नहीं रहती है। मूल्याँकन पद्धति के संबंध में भी इनका प्राय: यही हाल रहता है। इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याँकन भी शिक्षकों द्वारा आमतौर पर गम्भीरता से नहीं किया जाता और समुचित फीडबैक भी नहीं दिया जाता जबकि टिप्पणियाँ या निर्देशन दूरस्थ विधि का एक अहम इनपुट है। जहाँ तक मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा आधुनिक सूचना तकनीकी के प्रभावशाली प्रयोग का प्रश्न है, वास्तविकता तो यह है कि अभी भी हमारी जनसँख्या के सीमित वर्ग के पास ही कम्प्यूटर की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अत: इसका समुचित उपयोग सम्भव नहीं हो पाता। शिक्षक शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षण संबंधी प्रयोगात्मक अभ्यास की समुचित सुविधाएँ सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो पाती हैं जिनकी प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर भी स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। दूरस्थ पद्धति द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुभूत की जा रही इस प्रकार की कठिनाइयों का निराकरण किए बिना इसके लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ, नीति निर्धारक, नियोजन तथा प्रेक्टिशनर्स गहन विचार-विमर्श करके क्रियान्वयन योग्य एक व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करें और दृढ़ इच्छाशक्ति एवं निष्ठा के साथ सम्मिलित रूप से उसके समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रयास करें तो इस दिशा में वांछित सफलता की आशाएँ की जा सकती हैं।